ployment activities of the backward sections amongst minorities.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

(d) The persons belonging to minority communities who are below double the poverty line are eligible for concessional finance under the schemes of NMDFC, viz;

(i) Term Loan Scheme;
(ii) Margin Money scheme; and
(iii) Micro Credit Scheme

The rate of interest and period of repayment under the schemes and projects/schemes sanctioned State-wise are given in the Annexure. [*See Appendix 186, Annexure No. 14]*

Housing loans for the aged

725. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state;

(a) whether Government have decided to float schemes for easy access to Housing loans for the aged in view of Government's policy to address the concerns for the aged;

(b) if so, what are the details of the schemes; and

(c) if not, at what stage the matter stands?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

वृद्ध गृहों के संबंध में सरकार की नीति

726. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अति वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा, सेवा और इलाज के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाये जाने की योजना है;

(ख) वृद्ध गृहों के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ग) भारत में 60 वर्ष और उसके ऊपर की आयु के लोगों की संख्या कितनी है जिनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है; और

(घ) निराश्रित वृद्धों की समस्याओं के समाधान के लिए समाज सेवा संस्थाएं क्या कार्य कर रही है; और

(ङ) उनके कार्यक्रमों से क्या वृद्धगृहों की स्थिति में कोई सुधार हुआ है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा पहले ही की जा चुकी है जो वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए उनकी वित्तीय सुरक्षा, [illegible] देखभाल, आश्रय कल्याण तथा अन्य विकास संबंधी जरुरतों को पूरा बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

(ख) इस मंत्रालय की चल रही योजनाओं के अंतर्गत वृद्धावस्था गृहों की स्थापना और रख-रखाव तथा वृद्धावस्था गृहों के निर्माण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ग) नवीनतम जनगणना के अनुसार 1991 में देश में 60 वर्ष तथा इससे अधिक की आयु के 56.68 मिलियन वृद्ध व्यक्ति थे। सरकार द्वारा उन व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करने के लिए राष्ट्र व्यापि सर्वेक्षण नहीं किया गया है जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।

(घ) और (ङ) इस मंत्रालय की चल रही योजनाओं के अंतर्गत लगभग 430 स्वयंसेवी संगठन सम्पूर्ण देश में वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृह, दिवा देखभाल केन्द्र तथा सचल चिकित्सा यूनिट चला रहे है। इसके अतिरिक्त, अनेक सामाजिक संगठन हैं जो वृद्ध व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहें लेकिन सरकार से कोई अनुदान नहीं ले रहे है।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत, वृद्ध व्यक्तियों को उनकी स्थिति में सुधार के लिए आश्रय, पोषाहार तथा चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।